कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती सुशीला बलोदा पूनिया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाषनगर, कोटा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तन्चा (TANCHA), जिला बारां एवं श्री सत्य प्रकाश जोशी, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांसखेडी मेवतियान, जिला झालावाड को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर, कोटा स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्रीमती सुशीला बलोदा पूनिया द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2813/2019 सुशीला बलोदा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2813/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी श्रीमती सुशीला बलोदा की सीमा तक अपास्त कर दिया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी श्रीमती सुशीला बलोदा की हद तक एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रीमती सुशीला बलोदा पूनिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर, कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं श्री सत्य प्रकाश जोशी का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुडायला (KUDAYLA), खैराबाद, जिला कोटा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने पदस्थापित/नवीन समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुशीला बलोदा/2813/2019 दिनांक 21.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, कोटा।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटा को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner